कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:: कार्यालय आदेश ::--

यह कि श्री सत्यनारायण न्याती 31/7/ 13 से अतिरिक्त ब्लांक प्रांरम्भिक शिक्षा अधिकारी पद पर पंचायत समिति केकडी (अजमेर) में कार्यरत है आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/पदस्थापन–स्थाना/2016–17 दिनांक 20.10.16 द्वारा सत्यनारायण न्याति का स्थानान्तरण केकडी से सील गांव मुण्डवा नागौर किया गया। स्थानातंरण आदेश को चुनौती देते हुये इन्होने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3417/2016 दायर की। माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 15.01.2018 द्वारा स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया था परन्तु आदेश में यह भी उल्लेख किया था कि यदि अपीलार्थी को प्रत्यार्थी विभग द्वारा प्रशासनिक आधार पर अथवा राज्य हित में नया आदेश प्रसारित कर स्थानातरित किया जाता है तो यह आदेश उसमें बाधक नहीं होगा।

माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्णय की पालना में अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण आदेश कमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–5/पदस्थापन/सत्यनारायण/अपील/2017 दिनांक 01.05.2018 द्वारा केकडी से राउमावि.डिडिया कलां मूंडवा जिला नागौर कर दिया गया परन्तु सत्यनारायण न्याति ने इस स्थान्तरण आदेश के विरूद्व भी अपील संख्या 499/2018 दायर की जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करते का आदेश दिया अतः अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया तथा याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का यह कथन कि उसके रिटायरमेट में लगभग एक वर्ष का समय शेष है तथा उसका पिता वृद्वा व्यवस्था में है अतः उसका स्थानान्तरण निरस्त किया जाना चाहिए यह तर्क संगत नहीं है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरीयता है। व्याख्याता स्थानान्तरण राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। अपीलार्थी लगभग पांच वर्ष से अतिरिक्त ब्लाक प्रांराम्भिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज करते हुये निस्तारित किया जाता है। सभी संबधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कमांकः शिविरा/माध्य/सी–5/याचिका सं0 3417/16 एवं 499/18/16 दिनांक 12/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
3. बीईईओ, पंचायत समिति केकडी, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संबंधित कार्मिक सत्यनारायण न्याति अतिरिक्त ब्लांक प्रांरम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति केकडी (अजमेर)
5. सहायक निदेशक विधि प्रभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
6. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर